

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर  
क्रमांक:- संस्था/चिअ/एटी/प01/11/37 दिनांक :- 13/04/2011

—: आदेश :—

निर्देशानुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से वर्ष 2011 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयनित होने के फलस्वरूप निदेशालय के सगसंख्यक आदेश क्रमांक 12 दिनांक 14.03.11 के द्वारा चिकित्सकों को नियुक्ति दी जाकर पदस्थापन किया गया। नियुक्ति कि शर्तों के अनुसार आदेश जारी होने कि दिनांक से एक माह के भीतर-2 नव नियुक्ति पर कार्यग्रहण करना अनिवार्य है। निम्नलिखित चिकित्सकों ने उनके नाम के सामने अंकित कारणों से कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि हेतु निवेदन किया है :-

| क्रं. रां. | चिकित्सक का नाम    | मेरिट संख्या | पदस्थापन स्थान                         | अभिवृद्धि का कारण                             | कार्यग्रहण अवधि में वृद्धि की दिनांक |
|------------|--------------------|--------------|--|---|--------------------------------------|
| 1.         | डा० सारिका अग्रवाल | 136          | प्रा०स्वा०केन्द्र बीनादेसर (चुरु)      | सास-सरुर की बीमारी के कारण                    | 06 माह                               |
| 2.         | डा० हिमांशु महला   | 525          | प्रा०स्वा०केन्द्र चोकडी (सीकर)         | सीनियर रेजिडेंट के पद पर कार्यरत होने के कारण | 16/08/11                             |
| 3.         | डा० मोती लाल बुनकर | 666          | प्रा०स्वा०केन्द्र अरनोदा (चित्तौड़गढ़) | पीजी के कारण                                  | 02 साल                               |
| 4.         | डा० वरुण सैनी      | 778          | प्रा०स्वा०केन्द्र मंगलूणा (सीकर)       | पीजी के कारण                                  | मई 2012                              |
| 5.         | डा० मनीषा          | 1105         | प्रा०स्वा०केन्द्र मिठडाउ (बाडमेर)      | पदस्थापन में संशोधन बाबत                      | 06 माह                               |

उपरोक्त चिकित्सकों को वांछित अवधि तक कार्यग्रहण करने हेतु अभिवृद्धि दिया जाना सम्भव नहीं है। अतः उक्त चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 20.04.11 तक नव नियुक्ति स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करलें अन्यथा निर्धारित अवधि तक कार्यग्रहण नहीं करने के फलस्वरूप इनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त/नाम नियुक्ति आदेश से विलोपित हो जायेंगे।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदनार्थ पश्चात् जारी किये जाते है।

— ६० —

निदेशक (जन स्वा०)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित है:-

1. निजि सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा० विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वा० विभाग, (ग्रुप-2) राजस्थान जयपुर।
4. सगस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी, संबंधित।
6. संबंधित चिकित्सक को घर के पते पर स्पीड पोस्ट द्वारा।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करें। —
8. निजि/आदेश पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा०)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।